

(2)

[Handwritten signature]

जिसे चुकाने में प्रार्थी को अत्यंत असुविधा होगी।
 70 लाख रुपये की धनराशि यदि प्रार्थी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो उसकी किरत काफी आयेगी,
 तो शेष धनराशि प्रार्थी किसी राष्ट्रीयक बैंक से ऋण लेकर पूरा कर सकता है। क्योंकि सम्पूर्ण 65-
 यदि माननीय महोदय की कृपा से 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की धनराशि प्राप्त हो जाये
 धनराशि का धी-दिहाई हिस्से की धनराशि प्रदान की जा सकती है, जिसके आधार पर प्रार्थी को
 माननीय महोदय की कृपा प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी को जमा
 धनराशि जमा है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर प्रार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि
 20 के अन्त में अंकन 46,30,313/- (छियालीस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह रुपये) की
 कम तीन कमरे के आवास की आवश्यकता है। प्रार्थी के भविष्य निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2019-
 रुपये से नीचे की धनराशि में कोई तीन कमरे का आवास नहीं मिल सका। जबकि प्रार्थी को कम से
 जहाँ भी प्रार्थी ने अब तक बात की है, सभी जगह से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 65-70 लाख
 प्रार्थी लखनऊ या भुवनेश्वर में आवास लेने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में
 परिवार के तथा स्वयं के रहने की व्यवस्था के लिये आवास की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में
 है। अलग से प्रार्थी के पास कोई जमा धन नहीं है। प्रार्थी को अब अपनी सेवा के अंतिम वर्षों में अपने
 प्रार्थी ने अपनी पूरी सेवा काल में जो भी बचत की है, वह सब प्रार्थी के भविष्य निधि खाते में जमा
 के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा अब प्रार्थी को अक्टूबर 2022 में अवकाश ग्रहण करना है।

अति विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.03.1996 को न्यायिक अधिकारी महोदय,

विषय: भविष्य निधि खाता सं. एल.जे.यू. 21085 से फॉरट (आवास) क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) स्थायी निष्कासन के सम्बन्ध में :-

पता: श्रीमान जगदल न्यायाधीश,
 गजियाबाद।
 सेवा में,
 श्रीमान महानिबन्धक,
 माननीय उच्च न्यायालय,
 इलाहाबाद।
 प्रेषक,
 श्री भूषण पाण्डेय,
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
 गजियाबाद।

Confidential Section 2.14

5/10/20
District Judge
गण्डियाबाद

इलाहाबाद।
माननीय उच्च न्यायालय,

अप्रसारित, श्रीमान महाविभागाध्यक्ष,

पत्रांक 3113/II, दिनांक 05/10/2020

दिनांक: 01.10.2020

गण्डियाबाद।

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

(शहीद भवन पार्क)

भवदीय,
01/10/20

5-पार्श्व का बचन-पत्र।

5-पार्श्व का स्वयं का प्रमाण-पत्र।

4-माननीय उपपद न्यायाधीश/डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र।

3-पूर्व में कोई भी स्थायी धनराशि जी.पी.एफ. से आहरण नहीं करने के सम्बन्ध में

17 से 2019-20 तक के विवरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2-सक्षम अधिकारीगण द्वारा सत्यापित पार्श्व के जी.पी.एफ. पास बुक के सन 2016-

वर्षांक:- 1-शुद्ध निधि खाते से आन्तरिक निष्कासन के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

दिनांक: 01.10.2020

गण्डियाबाद।

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

(शहीद भवन पार्क)

भवदीय,
01/10/20

महर्षि कृपा होगी।

करने की कृपा करें।

30,00,000/- (तीस लाख रुपये) आन्तरिक निष्कासन के रूप में निकालने की अनुमति प्रदान

अतः माननीय महोदय से विजय निवेदन है कि पार्श्व के शुद्ध निधि खाते से पार्श्व को

पत्र सं. २५
३१/०८/२०
३१/०८/२०

३१/०८/२०
३१/०८/२०

दिनांक

३१/०८/२०

- १- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- २- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ३- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ४- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ५- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ६- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ७- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ८- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।
- ९- ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।

(पत्र सं. २५ - ३१/०८/२० को बैंक परी (एकलक्ष) विभागीय स्तर के अनुसार प्रदान की गई थी।)

३१/०८/२०

दिनांक: 01.10.2020

गालियाबाद।

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

(श्री भूषण पाण्डेय)

01/10/20
एस.सी.एस.टी. एक्ट

द्वारा कोई आहरण नहीं किया गया है।

भविष्य निधि खाते से आहरण नहीं की है तथा स्थायी रूप से अभी तक मेरे
2018 में प्रार्थी ने जमा की थी। उसके बाद प्रार्थी ने कोई अस्थायी धनराशि
उसे किराते में सम्पूर्ण अदा कर दिया गया है तथा अन्तिम किरात नवम्बर
एल.जे.यू. 21085 से पूर्व में अस्थायी रूप से जो धनराशि प्राप्त की गयी थी,
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अपने भविष्य निधि खाता-

प्रमाण-पत्र

दिनांक: 01.10.2020

आरक्षण एवं वितरण अधिकारी,
जनपद गाजियाबाद, गाजियाबाद।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शशि भूषण पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एकट), गाजियाबाद की संक्षम अधिकारिणा द्वारा स्थापित सामान्य महिला निधि खाता-एल.जे.यू. 21085 के पास बृक के अनुसार उनके सामान्य महिला निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में कुल 46,30,313/-रुपये जमा धनराशि उपलब्ध है। श्री शशि भूषण पाण्डेय द्वारा याचित 30,00,000/-(तीस लाख रुपये) अन्तिम निष्कासन किये जाने के उपरान्त 16,30,313/-रुपये अवशेष बचते हैं।

कम-पत्र

दिनांक: 01.10.2020

गाजियाबाद।

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

(शांति भूषण पण्डित)

01/10/20
एस.सी. एक्ट

जी.पी.एफ. नियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार भरे द्वारा अपने
शिव्य निधि खाता-एल.जे.यू. 21085 से फॉर्न (आवास) क्रय करने हेतु
अकन-30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की अत्यंत आवश्यकता है एवं
अन्तिम निष्कासन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि भरे द्वारा फॉर्न क्रय करने
के उद्देश्य से ही खर्च की जायेगी। किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जायेगी।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित
आदिवासी एवं विलक्षण आदिवासी,
जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर जिला
गोरखपुर

दिनांक: 01.10.2020

गोरखपुर जिला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),

(शहीद भूषण पार्क)

01/10/20
प्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है कि

अपने शहीद भूषण पार्क में वापस कर दिया जायेगा।
प्रमाणित किया जाता है कि से द्वारा अपने शहीद भूषण पार्क
एल.जे.यू. 21085 से फ्लैट (आवास) क्रय करने हेतु अंकन
30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की अन्तिम निष्कासन हेतु निवेदन किया
गया है। यदि कोई आर्थिक भ्रमान में पक्ष में किया जाता है तो उसे से द्वारा

पृष्ठ-१३

